/.

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः— 37A / 2020

तारीख रजू 22.08.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. मुकेश कुमार वर्मा पुत्र सुखजी वर्मा जाति रैगर (मौके पर विक्रेता) फर्म—फ्रेडंस आईसक्रीम पार्लर रिद्वी सिद्वी होटल के पास रणथम्भोर रोड सवाई माधोपुर
2. गुलाब रसूल पुत्र जन्सी खान जाति मुसलमान (मालिक) फर्म—फ्रेडंस आईसक्रीम पार्लर रिद्वी सिद्वी होटल के पास रणथम्भोर रोड सवाई माधोपुर निवासी मकान नम्बर 1 टीआरडी रेलवे कॉलोनी वार्ड नम्बर 33 सवाई माधोपुर ....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः— दिनांक 07.09.2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.02.2019 को समय 03.15 पी.एम.पर फ्रेंडस आईसक्रीम पार्लन रिद्वी सिद्वी होटल के पास रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर पर पहूँचा वहा पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार वर्मा पुत्र सुखजी वर्मा बताया एवं स्वंय विकता व गुलाब रसूल को फर्म का मालिक होना बताया गया। मैने विक्रेता आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य पदार्थ चनादाल बेसन (पावन ब्राण्ड) 500 ग्रम पैक के एक ही तरह के 20 पैकिट दुकान मे एक लकडी की रेक में रखे हुए थे का निरीक्षण करने पर उनमे मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौजूद विक्रेता से उस खाद्य वस्तु चनादाल बेसन (पावन ब्राण्ड)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:11:00 IST
Reason: SelfAttested

500 ग्राम पैक के पैकिटो में से शुद्वता व लेबल की जॉच हेतु नमना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदाथ दनादाल बेसल (पावन ब्रण्ड) 500 ग्राम पैक के 20 पैकिटो में से 4 पैकिट शुद्वता व लेबल की जॉच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे गये जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 140 रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर स्वंय आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ चनादास बेसन(पावन ब्राण्ड) 500 ग्राम के चारो पैकिटो चार साफ सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर–बराबर भरकर अच्छी तरह बन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच–1606 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सील बंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता मुकेश वर्मा ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी), सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/20219/818 दिनांक 01.01.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 71/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/88 दिनांक 15.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ चनादाल बेसन (पावन ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ चनादाल बेसन (पावन ब्राण्ड) का विकय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:11:00 IST
Reason: SelfAttested

U/S 3(1)(zf)(c)(i) खाद्य पदार्थ चनादाल बेसन (पावन ब्राण्ड) का विक्रय एव निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वंय उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा लाल मिर्च पाउडर मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 13.02.2019 को चनादाल बेसन (पावन ब्राण्ड) का सेम्पल भरा गया था लेब की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की दुकान से भरा गया सेम्पल बेसन (पावन ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पायाल गया। प्रार्थी को निमयों की जानकरी नहीं थी प्रार्थी द्वारा उक्त गलती में सुधार कर लिया गया है। अन्त में वकील अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण को न्यूनत्तम शारित राशि लगाकर प्रकरण को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहॅुचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि जॉच रिपोर्ट संख्या 71/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/88 दिनांक 15.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच एवं विक्रय/निमार्ण किया गया खाद्य पदार्थ चनादाल बेसन (पावन ब्राण्ड) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उलघंन किया है जो कि धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:11:00 IST
Reason: SelfAttested

से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है तथा अभियुक्तगण द्वारा भी जुर्म स्वीकार किया गया है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ चनादाल बेसन (पावन ब्राण्ड) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर क्रमशः 5000/– रूपये (अक्षरेः पांच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:11:00 IST
Reason: SelfAttested